

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर,

जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 817/2022

अनवान : -

1. बालूराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. मन्जू बाला पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा वादी

श्री सुबोध शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 6/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 208/78 का कुल क्षेत्रफल 0.6080 है भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 26/23 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है० भूमि में से 133/2530 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीया स० 1 ने समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार वादी के नाम दर्ज रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर की जमाबंदी सम्बत् 2076-2079 के खाता संख्या 208/78 का कुल क्षेत्रफल 0.6080 है० भूमि प्रतिवादीया स० 1 को दी हुई है जिससे प्रतिवादीया ही काश्त करती चली आ रही है तथा प्रतिवादीया स० 1 के नाम दर्ज रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स० 26/23 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है० भूमि में से 133/2530 हिस्सा भूमि वादी को दी हुई है तथा वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 26/23 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है० भूमि में से 133/2530 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादीया स० 1 अपना नाम कलमजन करवाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करवा दे तथा वादी के नाम दर्ज रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 208/78 का कुल क्षेत्रफल 0.6080 है भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स० 1 अपने नाम दर्ज करवा ले। वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीया सं० 1 ने दावा की सभी मद संख्याओं को करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स० 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।



साक्ष्य वादी में वादी बालूराम के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादीया स0 1 ने वादी से समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार वादी के नाम रोही मौजा 18 जेएसएन के खाता स0 208/78 का कुल क्षेत्रफल 0.6080 प्रतिवादीया स0 1 को दी हुई है तथा प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज 16 जेएसएन के खाता स0 26/23 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है0 भूमि में 133/2530 हिस्सा भूमि वादी को दी हुई है। वादी व प्रतिवादीया स0 1 अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहते हैं। इस हेतु प्रतिवादी स0 1 ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 208/78 का कुल क्षेत्रफल 0.6080 है भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि को प्रतिवादीया स0 1 को दी है जिसे प्रतिवादीया स0 1 की काश्त कर रही है तथा तथा रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 26/23 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है0 भूमि में से 133/2530 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि वादी को दी हुई है जिसे वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 26/23 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है0 भूमि में से 133/2530 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में से कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 208/78 का कुल क्षेत्रफल 0.6080 है भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा वाद-विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/11/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सत्यनारायण)

R.A.S

उपजुद्ध अधिकारी (राजस्व)
एनोहर न्यायालय नोहर

पर्चा-डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 - 817/2022

अनवान : -

1. बालूराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. मन्जू बाला पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 26/23 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है 0 भूमि में से 133/2530 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड मे से कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 208/78 का कुल क्षेत्रफल 0.6080 है भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा वाद-विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमज कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर